न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 126/2012 (उदयपुर डिक्री)

1. भैरा पिता सुरता गरासिया, नि0 गोरिया, तहसील कोटडा, जिला उदयपुर
2. चुना पिता सुरता गरासिया, नि0 गोरिया, तहसील कोटडा, जिला उदयपुर
3. पुना पिता रूपा गरासिया, नि0 गोरिया, तहसील कोटडा, जिला उदयपुर
4. दीता पिता काला गरासिया, नि0 गोरिया, तहसील कोटडा, जिला उदयपुर
5. होमा पिता काला गरासिया, नि0 गोरिया, तहसील कोटडा, जिला उदयपुर
6. बदा पिता वगता गरासिया, नि0 गोरिया, तहसील कोटडा, जिला उदयपुर
7. बाबू उर्फ वागा पिता वगता गरासिया, नि. गोरिया, त. कोटडा, जिला उदयपुर
8. फता पिता वगता गरासिया, नि0 गोरिया, तहसील कोटडा, जिला उदयपुर
9. मोगा पिता वगता गरासिया, नि0 गोरिया, तहसील कोटडा, जिला उदयपुर

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. रेशमा पिता गलबा गरासिया, नि0 तांदला, तह0 कोटडा, जिला उदयपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार, कोटडा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का.अ.1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी कोटडा दिनांक
23.02.2007 प्रकरण संख्या 15/06

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री सुरेश त्रिवेदी अभिभाशक अपीलान्टगण
2. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय दिनांक 26–07–2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गोरिया में आराजी नंबर 348, 351 से 354, 368, 375 से 383, 426, 427 कुल किता 16 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है [illegible] खातेदार काश्तकार वादी के परिवार के मुखिया श्री भाणा गरासिया थे [illegible] मृत्यु पश्चात् कोई लड़का

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:55:53 IST
Reason: SelfAttested

नहीं होने से उनकी एक मात्र पुत्री देवली के नाम भूमि विरासत से दर्ज हुई। देवली की मृत्यु कुछ समय पूर्व हो चुकी है, जिसका एक मात्र वारिस उसका पुत्र वादी है, जो अपनी माता के समय से वादग्रस्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर उसे विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी सरकार की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 2 तनकियात कायम की एवं तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 23–02–2007 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 24–09–2012 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21–09–2012 को होते ही अपील प्रस्तुत कर दी। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलान्ट द्वारा 23–02–2007 की अपील दिनांक 24–09–2012 को प्रस्तुत की है, जबकि अपील 60 दिवस में प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए थी। अपील करीब 5½ वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो आधार अपीलान्ट ने अपने धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित किये वह न तो उचित कारण प्रतीत होता है, न ही इतनी लम्बी देरी का कोई पर्याप्त कारण है, न ही उनके द्वारा धारा 5 जाब्ता मियाद के आवेदन के साथ कोई शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। तदनुसार अपील बेरून मयाद होने से मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:55:53 IST
Reason: SelfAttested

गुणावगुण पर बहस करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अपील की कलम संख्या 2 के सजरे अनुसार अपीलान्टगण भाणा के भाई अमरा के वारिस हैं। भाणा की पुत्री देवली की शादी होकर व अपनी ससुराल तांदला में रहती थी तथा वहीं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 रेशमा का जन्म हुआ। भाणा का पुत्र मोती लाऔलाद फोत हो गया था। मृतक भाणा ने अपने जीवनकाल में ही अपने खाते की सारी भूमि अपने भाई अमरा को दे दी थी, तब से विवादित आराजियात पर अपीलान्टगण का कब्जा चला आ रहा है। वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का विवादित आराजियात पर कभी कब्जा नहीं रहा। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अपीलान्टगण द्वारा अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि अपीलान्टगण अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। ऐसी स्थिति में बिना धारा 96 जा.दी. के आवेदन के उन्हें अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। तद्नुसार अपील मात्र इसी कानूनी बिन्दु के आधार पर खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने से अपील खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–02–2007 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26–07–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:55:53 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **अनीता मीना, आर.ए.एस.** .....

भैरा पिता सुरता गरासिया, निवासी गोरिया, तहसील कोटडा व अन्य बनाम **रेशमा पिता गलबा गरासिया, निवासी तांदला, तहसील कोटडा व अन्य**

अपील नं.....**126/2012**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**कोटडा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**23**.....माह.....**02**.....**2007**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**26**....माह.....**07**.....सन् **2022** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री सुरेश त्रिवेदी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री कमलेश चौहान**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने से अपील खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–02–2007 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**26**.....माह.....**07**.....**2022** को जारी किया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:55:53 IST
Reason: SelfAttested